न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल बिश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 04/2024
3. उनवान : सरकार जरिये श्री तरुण सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

–आवेदक

बनाम

1. श्री ताराचंद पुत्र श्री दल्ला राम (विक्रेता वेंडर)
   निवासी म. न. –264 रेगर बस्ती, काचरोदा, फुलेरा राजस्थान 303338 फर्म– मैसर्स श्याम जी फूड सर्विसेस प्रोपराइटर ललित देवी शर्मा खान पान स्टाल प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 रेलवे स्टेशन फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान 303338
2. श्री ललिता देवी पत्नी श्री मोहन लाल शर्मा एस. आर. महेंदिरत्ता (प्रोपराइटर)
   निवासी म. न. 102–ए. अयोध्या कुन्ज अर्जुन नगर, पोस्ट खेरिया मोड, आगरा उत्तर प्रदेश 282001
   फर्म :– मैसर्स श्याम जी फूड सर्विसेस प्रोपराइटर ललित देवी शर्मा खान पान स्टाल प्लेटफॉर्म फॉर्म नंबर 2/3 रेलवे स्टेशन फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान 303338
3. श्री भूपेंद्र गुप्ता पुत्र कान्तिचंद गुप्ता (सप्लायर)
   निवासी– 221, कुकू बाबा की बगीची, वार्ड नंबर–18, फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान 303338
   फर्म– अल्फा ट्रेडिंग गर्ल्सस्कूल के पास, हलवाई बाजार फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान 303338 (मोबाइल नंबर 9982235989)
4. श्री अंकित भांगडीया पुत्र श्री भागचंद भांगडीया (निर्माता)
   निवासी 45/19, डागा जी की गली, अजमेर रोड, किशनगढ़ अजमेर 305801 (मोबाइल नंबर 9829071490)
   फर्म भागडीया, बेवरेजस, प्लाट नंबर 06, खसरा नंबर 24/3, ढाणी पुरोहितान, खोडा गणेश रोड, मदन गंज किशनगढ अजमेर –305801

–अभियुक्त

4. निर्णय दिनांक : 23/10/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री मयंक गुप्ता अप्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

अतिरिक्त, जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर

निर्णय

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 02 (ii)/51 एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011

आवेदक तरुण सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर दिनांक 24–06–2022 को समय दोपहर 11:00 बजे प्रातः मैसर्स श्याम जी फूड सर्विसेस प्रोपराइटर ललित देवी शर्मा खान पान स्टाल प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 रेलवे स्टेशन फुलेरा– जिला जयपुर पर पंहुचे। वहां पर श्री ताराचंद पुत्र श्री दल्ला राम (वेंडर) यात्रियों को पानी, शीतल पेय नास्ता इत्यादि बेच रहा था। ताराचंद (वेंडर) को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। उक्त स्टाल के निरीक्षण के दौरान पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (गेलन्स ब्रांड) के बोतल रखे हुए थे, जिन्हें यात्रियों को बेचा जा रहा था। बेचे जा रहे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (गेलन्स ब्रांड) की गुणवत्ता में संदेह होने पर मौके पर फार्म 5ए, पर नोटिस तैयार किया और खान पान स्टाल पर मौजूद यात्रियों को गवाही हेतु बुलाया लेकिन कोई भी व्यक्ति गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ जिससे परिवादी के साथ मौजूद श्री सुभाष गुर्जर पुत्र श्री हरि सिंह, एंटी मलेरिया खलासी, मेडिकल विभाग (स्वास्थ्य) उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को गवाह बनाते हुए उक्त स्टाल से कुल 16 लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (गेलन्स ब्रांड) के बोतल बंद (प्रत्येक नमूना 04 लीटर वजन का) वास्ते नमूना खरीदा जिसकी कीमत श्री ताराचंद (वेंडर) को 240 रुपए मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पन श्री ताराचंद (वेंडर) एवं उपस्थित गवाह श्री सुभाष गुर्जर के हस्ताक्षर करवाए एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हस्ताक्षर किए। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फॉर्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मूलचन्द जाट ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री ताराचंद (वेंडर) को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही फार्म नंबर 6 की 08 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे खाद्य नमूना सील चपडी किया गया था एवं प्रथम नमूना भाग मय फॉर्म 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर चपडी कर दो फार्म 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बद कर चिपकाकर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान सरकार जयपुर को श्री सुभाष गुर्जर द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है शेष दो सीलबंद नमूना भाग–2 एवं भाग–3 मय फार्म 6 की दो प्रतियों के साथ एवं नमूना भाग–4 आउटर कवर में सील बद कर अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को श्री सुभाष गुर्जर एंटी मलेरिया खलासी मेडिकल विभाग उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक द्वारा सुरक्षा अधिकारी का अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के पत्रांक मेड/एच/605/एफएसएसए लैब रिपोर्ट/एन डब्ल्यू आर–946 दिनांक 18–07–2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट संख्या एलएस/2251/एक्ट/2022/2317 दिनांक 14–07–2022 के अनुसार वास्ते नमूना विक्रय सामग्री पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (मेलन्स ब्रांड) सब स्टैण्डर्ड फूड होना पाया गया है। नमूना पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (गेलन्स ब्रांड) के लैब रिपोर्ट अनुसार पानी में भूरे रंग के कागज के टुकडे होने से सब स्टैण्डर्ड फूड होना पाया गया है। सब स्टैण्डर्ड फूड होने की सूचना अभिहित अधिकारी द्वारा पत्र संख्या मेड/एच/605/एफ.एस.एस.ए. लैब रिपोर्ट/एन डब्ल्यू आर–946 दिनांक 18–07–2022 द्वारा लिखकर श्री ताराचंद पुत्र श्री दल्ला राम (वेंडर), फर्मः– मैसर्स श्याम जी फूड सर्विसेस प्रोपराइटर ललित देवी शर्मा को दी गई। किन्तु किसी के भी द्वारा पुनः विश्लेषण हेतु आवेदन नहीं किया। अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के पत्रांक क्रमांक मेड/605/एफ.एस.एस.ए/एन.डब्ल्यू.आर.–946 दिनांक 19.06.2023 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु अधिकृत किया गया है।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अन्त में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा मैसर्स श्याम जी फूड सर्विसेस प्रोपराइटर ललित देवी शर्मा खान पान स्टाल प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 रेलवे स्टेशन फुलेरा– जिला जयपुर द्वारा सब स्टैण्डर्ड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (गेलन्स ब्रांड) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।

न्यायालय में आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को असालतन/वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री मंयक गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 22.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से पेश जवाब में अंकित है कि किसी पदार्थ का नमूना मानकों के अनुरुप नहीं पाये जाने का मतलब यह नहीं कि पदार्थ असुरक्षित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने लेने के लिए सक्षम नहीं है। उक्त नमूने का विश्लेषण किसी भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 24.06.2022 को कथित नमूना लिया और खाद्य विश्लेषक ने इसकी रिपोर्ट 14.07.2022 को पेश की। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सेक्शन 42(2) व 46(3) के अनुसार खाद्य विश्लेषक अधिकारी नमूना प्राप्त होने के 14 दिवस के भीतर रिपोर्ट भेजने के लिए बाध्य है। प्रतिवादी संख्या 3 केवल उक्त नमूना उत्पाद का वितरक और थोक विक्रेता है। जो बिना किसी मिलावट के उक्त उत्पाद की बिक्री और खरीद करता है। प्रतिवादी संख्या 3 ने उत्पाद खरीद बिल एफएसएसएआई लाइसेंस प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 3 का उक्त मिसब्रांडिंग के लिए कोई दायित्व नहीं बनता। अतः प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध जुर्माना निरस्त कर अलग रखे जाने योग्य है। अन्त में मामले को जुर्माने सहित खारिज करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त पदार्थ के वितरक और खुदरा विक्रेता है। उन्होंने उत्पाद उसी स्थिति में खरीदा था, जिस स्थिति में इसे बिना किसी छेडछाड के बेचा गया था। खाद्य व्यवसाय संचालक की जिम्मेदारी है वह ऐसा पदार्थ ना बेचे जो कि असुरक्षित, गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में प्रतिबंधित है। प्रतिवादी संख्या 1 खाद्य पदार्थों का खुदरा विक्रेता है। खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस एवं पंजीकरण छोटे निर्माता पर लागू नहीं होता है। अन्त में मामले को जुर्माने सहित खारिज करने का निवेदन किया है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24–06–2022 को मैसर्स श्याम जी फूड सर्विसेस प्रोपराइटर ललित देवी शर्मा खान पान स्टाल प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 रेलवे स्टेशन फुलेरा– जिला जयपुर पर पंहुचे। वहां पर श्री ताराचंद पुत्र श्री दल्ला राम (वेंडर) यात्रियों को, पानी, शीतल पेय नास्ता इत्यादि बेच रहा था। उक्त स्टाल पर निरीक्षण के दौरान पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (गेलन्स ब्रांड) के बोतल रखे हुए थे जिन्हें यात्रियों को बेचा जा रहा था। बेचे जा रहे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (गेलन्स ब्रांड) की गुणवत्ता में संदेह होने पर मौके पर फार्म 5ए, पर नोटिस तैयार किया। उक्त स्टाल से कुल 16 लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (गेलन्स ब्रांड) वास्ते नमूना खरीदा। खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट संख्या एलएस/2251/एक्ट/2022/2317 दिनांक 14–07–2022 के अनुसार वास्ते नमूना विक्रय सामग्री पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (गेलन्स ब्रांड) पानी में भूरे रंग के कागज के टुकडे होने से सब स्टैण्डर्ड फूड होना पाया गया है। अतः अप्रार्थीगण को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने व उक्त प्रार्थना पत्र को ही बहस मानते हुए मामले को खारिज करने का निवेदन किया है। अपनी बहस के समर्थन में SB criminal miscellaneous (petetion) no. 4655/2023, HC MADRAS Crl. O.P. no. 25484/2016, Crl. M.P. no. 12362 and 12363 of 2016 एव Rajasthan High Court 2017(1) Page No. 65 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

हमने आवेदन पत्र एवं अभियुक्त के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का अध्ययन किया प्रार्थी पैरोकार एवं विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि नमूना एकत्रित करने की कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। साथ ही दस्तावेजात पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है जिससे सुस्पष्ट है कि अभियुक्त को कार्यवाही के विषय में समझाया गया। इसके अतिरिक्त खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण एलएस/2251/एक्ट/2022/2317 दिनांक 14–07–2022 के अनुसार नमूना विक्रय सामग्री पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (गेलन्स ब्रांड) पानी में भूरे रंग के कागज के टुकडे होने से सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। अप्राथीगण ने जवाब में अंकित किया है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सेक्शन 42(2) व 46(3) के अनुसार खाद्य विश्लेषक अधिकारी नमूना प्राप्त होने के 14 दिवस के भीतर रिपोर्ट भेजने के लिए बाध्य है। साथ ही पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर में पानी में भूरे रंग के कागज के टुकडे भी पाये गये है, जो कि बाहय पदार्थ की मिलावट माना जाता है, जिसका रिपोर्ट भेजने में कुछ दिनों की देरी का प्रभाव नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं दस्तावेज उक्त प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। जससे सुस्पष्ट है कि सब–स्टेण्डर्ड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को निर्माण/विक्रय करने के लिए अप्रार्थीगण (निर्माता, सप्लायर, प्रोपराइटर और वेंडर) जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है अभियुक्तगण द्वारा सब–स्टेण्डर्ड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का निर्माण/विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में दोषी पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 50,51,52 व 54 के तहत अभियुक्त संख्या 1 पर 10,000/– रुपये (राशि अक्षरे दस हजार रूपये मात्र), अभियुक्त संख्या 2 पर 25,000/– रुपये (राशि अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र), अभियुक्त संख्या 3 पर 25,000/– रुपये (राशि अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र) एवं अभियुक्त संख्या 4 पर 1,00,000/– रुपये (राशि अक्षरे एक लाख रुपये मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण/अप्रार्थीगण द्वारा शास्ति राशि जरिये चालान जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 23/10/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
न्यायनिर्णयिक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट

The Addl. Collector & Addl. District Magistrate